The Infinite
An International Peer Reviewed / Refereed Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 5 | May 2026
ISSN: 3048-9539 (Online)
Website: www.theinfinite.co.in

उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन: श्रम कल्याण, अनौपचारिक रोजगार और क्रियान्वयन विफलताओं का एक आलोचनात्मक अध्ययन

प्रो. (डॉ.) अशोक कुमार सोनकर

विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

ARTICLE DETAILS

Research Paper

मुख्य शब्द :

महिला श्रमिक, श्रम कल्याण, अनौपचारिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश तथा लैंगिक न्याय

ABSTRACT

उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिक श्रम शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे कृषि, घरेलू सेवाओं, निर्माण कार्य, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, डेयरी उत्पादन और अनौपचारिक रोजगार के विभिन्न रूपों में व्यापक योगदान देती रहती हैं। उनके आर्थिक योगदान के बावजूद, बड़ी संख्या में महिला श्रमिक असुरक्षित व्यवसायों में कार्यरत हैं, जिनकी विशेषताएं हैं: कम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, कमजोर श्रम संरक्षण और सीमित संस्थागत समर्थन। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में और भी गंभीर हो जाती है, जहाँ महिलाएं अक्सर वित्तीय स्थिरता या प्रभावी कानूनी जागरूकता के बिना भुगतान वाले और अवैतनिक दोनों प्रकार के श्रम करती हैं। गरीबी, निरक्षरता, लैंगिक भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसी संरचनात्मक बाधाएँ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में महिला श्रमिकों को प्रभावित करती रहती हैं।

पिछले दशक के दौरान, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं। मिशन शक्ति, बीसी सखी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह, पेंशन कार्यक्रम और डिजिटल बैंकिंग पहल जैसी योजनाओं ने रोजगार के अवसर सृजित करने और ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। सरकारी रिपोर्टें उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी और बैंकिंग पहुँच में क्रमिक सुधार दर्शाती हैं। हालाँकि, कल्याणकारी योजनाओं का अस्तित्व आवश्यक रूप से महिला श्रमिकों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा का परिणाम नहीं बना है।

कल्याणकारी उपायों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर गंभीर चुनौतियों का सामना करता रहता है। प्रशासनिक देरी, भ्रष्टाचार, डिजिटल बहिष्कार, कमजोर श्रम प्रवर्तन, जागरूकता की कमी और अपर्याप्त संस्थागत समन्वय अक्सर महिलाओं को प्रभावी लाभ प्राप्त करने से रोकते हैं। घरेलू श्रम, कृषि, ईंट भट्टों और निर्माण कार्य जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं संवैधानिक गारंटियों और वैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद सार्थक श्रम संरक्षण से बाहर रहती हैं।

यह शोध पत्र उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का संवैधानिक और श्रम कानून के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करता है। यह पत्र समानता, कार्यस्थल गरिमा, मातृत्व संरक्षण और सामाजिक न्याय से संबंधित न्यायिक विकासों की भी जाँच करता है। यह तर्क देता है कि केवल कल्याण विस्तार सार्थक सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं कर सकता, जब तक कि श्रम संरक्षण, कानूनी जागरूकता, संस्थागत जवाबदेही और सामाजिक सुधार एक साथ कार्य न करें

परिचय

भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हालांकि औपचारिक श्रम विमर्श में उनके योगदान को अक्सर अपर्याप्त रूप से स्वीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश में, महिलाएं कृषि श्रम, डेयरी फार्मिंग, सिलाई, घरेलू सेवाओं, खाद्य प्रसंस्करण, बुनाई, हस्तशिल्प, निर्माण कार्य और अन्य प्रकार के अनौपचारिक रोजगार में व्यापक रूप से भाग लेती हैं। कई ग्रामीण परिवारों में, महिलाएं सीधे परिवार की आय में योगदान करती हैं, साथ ही घरेलू श्रम और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उठाती हैं। फिर भी, यह कार्य अधिकांशतः अप्रलेखित, अवमूल्यित और आर्थिक रूप से अदृश्य बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिकों की स्थिति भारतीय श्रम प्रणाली में मौजूद संरचनात्मक असमानता के व्यापक पैटर्न को दर्शाती है। महिला श्रमिकों का एक बड़ा प्रतिशत उन व्यवसायों में केंद्रित रहता है जहां मजदूरी कम है, रोजगार असुरक्षित है और संस्थागत सुरक्षा कमजोर है। अनौपचारिक रोजगार घरेलू श्रम, कृषि कार्य, घर-आधारित उत्पादन, ईंट भट्ठा कार्य और निर्माण गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में हावी है। इन क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं अक्सर लिखित अनुबंध, मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य देखभाल सहायता, पेंशन सुविधाओं या कार्यस्थल सुरक्षा के बिना काम करती हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में हाल के वर्षों में सुधार दिखाई दिया है; हालांकि, इस भागीदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्थिर श्रम अवसरों के बजाय कमजोर और कम वेतन वाले रोजगार के रूपों से जुड़ा हुआ है।[1]

[1] भारत सरकार, *आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24* (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली, 2024), उपलब्ध at: MOSPI Official Website

आर्थिक भागीदारी को गरिमा, समानता और सामाजिक स्थिति से संबंधित व्यापक प्रश्नों से अलग नहीं किया जा सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता रखने वाली महिलाएं आमतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और घरेलू निर्णय लेने से संबंधित मामलों में अधिक प्रभाव डालती हैं। परिणामस्वरूप, महिला श्रमिकों का मुद्दा श्रम कल्याण से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय और वास्तविक समानता से संबंधित व्यापक संवैधानिक विमर्श में प्रवेश करता है। भारत का संविधान कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और राज्य को अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपाय अपनाने की अनुमति देता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को श्रमिकों के लिए समान मजदूरी और मानवीय कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।[2] हाल के वर्षों में, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण आजीविका, डिजिटल भागीदारी और स्वरोजगार पर केंद्रित कई कल्याणकारी पहलें शुरू की हैं। मिशन शक्ति, बीसी सखी योजना और महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह जैसे कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से उनके संबंध के कारण काफी नीतिगत ध्यान मिला है। आधिकारिक रिपोर्टों से पता चलता है कि इन पहलों ने बैंकिंग सेवाओं, उद्यमशीलता और स्थानीय शासन संरचनाओं के भीतर महिलाओं की दृश्यता बढ़ाई है।[3]

फिर भी, कल्याणकारी योजनाओं का अस्तित्व स्वचालित रूप से सशक्तिकरण की गारंटी नहीं देता है। निरक्षरता, नौकरशाही में देरी, भ्रष्टाचार, जागरूकता की कमी और तकनीकी बाधाओं के कारण कई महिला श्रमिक कल्याण प्रणालियों से बाहर रहती हैं। डिजिटल शासन पर बढ़ती निर्भरता ने उन महिलाओं के लिए बहिष्करण के नए रूप भी पैदा किए हैं जिनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट पहुंच या तकनीकी साक्षरता का अभाव है। इसके अलावा, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं अक्सर वैधानिक सुरक्षाओं के अस्तित्व के बावजूद प्रभावी श्रम विनियमन से परे रहती हैं। न्यायिक हस्तक्षेप ने गरिमा, समानता और कार्यस्थल सुरक्षा से संबंधित संवैधानिक व्याख्या का विस्तार करके महिला श्रमिकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया है। हालांकि, कानूनी गारंटियों और व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच का अंतर काफी बना हुआ है। संस्थागत समर्थन या कानूनी जागरूकता की कमी वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए श्रम अधिकार अक्सर दुर्गम रहते हैं।

इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान पत्र उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करता है और उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाली कानूनी और व्यावहारिक चुनौतियों का विश्लेषण करता है। यह पत्र आगे अनौपचारिक श्रम की वास्तविकताओं का अध्ययन करता है, महिला श्रमिकों से संबंधित संवैधानिक और वैधानिक ढांचे का मूल्यांकन करता है, और सार्थक श्रम कल्याण प्राप्त करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधारों पर प्रकाश डालता है।

उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिकों की स्थिति नीति निर्माण और सामाजिक वास्तविकता के बीच निरंतर अंतर को भी उजागर करती है। सरकारी कार्यक्रम अक्सर सशक्तिकरण, समावेश और भागीदारी पर जोर देते हैं, फिर भी कई महिलाएं रोजमर्रा के स्तर पर

[2] भारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 15(3), 39(d) एवं 42।
[3] उत्तर प्रदेश सरकार, *महिला कल्याण एवं बाल विकास वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25* (लखनऊ, 2025), उपलब्ध at: Department of Women Welfare Uttar Pradesh

आर्थिक असुरक्षा का अनुभव करती रहती हैं। यह समस्या अनौपचारिक श्रम क्षेत्र में विशेष रूप से दिखाई देती है, जहां रोजगार संबंध अप्रलेखित रहते हैं और संस्थागत निगरानी कमजोर है। मौसमी श्रम में लगी महिलाएं अक्सर स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर कृषि कार्य, घरेलू सेवाओं और अस्थायी निर्माण गतिविधियों के बीच बदलती रहती हैं। ऐसे अस्थिर रोजगार पैटर्न वित्तीय सुरक्षा को कम करते हैं और दीर्घकालिक सामाजिक गतिशीलता को कठिन बनाते हैं। हाल के शर्म सर्वेक्षणों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में खासकर ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों और वित्तीय समावेशन पहलों के विस्तार के बाद स्पष्ट सुधार दिखाई दिया है। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षित रोजगार के अवसरों के बजाय कम आय और अनौपचारिक व्यवसायों से जुड़ा है। इसलिए कल्याणकारी नीतियों का मूल्यांकन करते समय श्रम भागीदारी और श्रम सुरक्षा के बीच अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। केवल शर्म आंकड़ों में समावेशन आवश्यक रूप से कार्य परिस्थितियों, आय स्थिरता या सामाजिक सुरक्षा में सुधार का संकेत नहीं देता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पारंपरिक आर्थिक समझ के भीतर महिलाओं के श्रम की अदृश्यता से संबंधित है। कई ग्रामीण परिवारों में, महिलाएं बिना प्रत्यक्ष वित्तीय मान्यता के अवैतनिक कृषि कार्य, पशु देखभाल, भोजन तैयारी और घरेलू उत्पादन गतिविधियों में व्यापक रूप से भाग लेती हैं। ऐसा श्रम परिवार के अस्तित्व में काफी योगदान देता है लेकिन पारंपरिक मजदूरी गणना से अनुपस्थित रहता है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण उत्पादन प्रणालियों के भीतर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद महिलाओं की आर्थिक भूमिका को कम करके आंका जाता रहता है। इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान अध्ययन यह जांच करता है कि क्या उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिकों के लिए शुरू किए गए सरकारी योजनाएं संरचनात्मक श्रम कमजोरियों को दूर करने में सक्षम हैं या क्या वे मुख्य रूप से कल्याणकारी प्रशासन और सांख्यिकीय विस्तार तक ही सीमित रहती हैं। यह पत्र अनौपचारिक रोजगार के संदर्भ में श्रम कल्याण, संवैधानिक सुरक्षा और कार्यान्वयन वास्तविकताओं के बीच संबंध का विश्लेषण करने का भी प्रयास करता है।

महिला श्रमिक और अनौपचारिक रोजगार की संरचना

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रम भागीदारी अनौपचारिक रोजगार के विकास से गहराई से जुड़ी हुई है। महिला श्रमिकों का एक बड़ा प्रतिशत उन व्यवसायों में केंद्रित रहता है जहां रोजगार की स्थिति अनिश्चित है और संस्थागत विनियमन न्यूनतम है। महिलाएं कृषि श्रम, घरेलू सेवाओं, सिलाई कार्य, खाद्य प्रसंस्करण, ईंट भट्टों, निर्माण गतिविधियों, बुनाई, हस्तशिल्प और घर-आधारित उत्पादन प्रणालियों में व्यापक रूप से संलग्न हैं। इनमें से अधिकांश व्यवसाय औपचारिक श्रम विनियमन के बाहर कार्य करते हैं और इसलिए सामाजिक सुरक्षा संरक्षण तक सीमित पहुंच प्रदान करते हैं। रोजगार का असंगठित स्वरूप महिला श्रमिकों के लिए कमजोरी के कई रूप पैदा करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, भारत में महिला श्रमिकों का एक बड़ा बहुमत अनौपचारिक रोजगार संरचनाओं के भीतर संलग्न रहता है जहां सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सीमित रहती है। उत्तर प्रदेश में, यह पैटर्न और अधिक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि ग्रामीण श्रम बाजार कृषि और दैनिक मजदूरी गतिविधियों पर काफी हद तक निर्भर हैं। महिला श्रमिक अक्सर उन श्रम क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं जहां भुगतान प्रणालियां अनियमित हैं और कानूनी अनुपालन कमजोर है। संगठित रोजगार क्षेत्रों के विपरीत, अनौपचारिक व्यवसायों में आम तौर पर लिखित अनुबंध, निश्चित कार्य घंटे, मातृत्व संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा कवरेज या पेंशन सहायता का अभाव होता है। ऐसे क्षेत्रों में श्रम संबंध अक्सर मौखिक व्यवस्थाओं

और अस्थायी रोजगार पैटर्न पर आधारित होते हैं। नतीजतन, महिला श्रमिक आर्थिक रूप से असुरक्षित और कानूनी रूप से कमजोर बनी रहती हैं।

महिला श्रमिकों को प्रभावित करने वाले सबसे लगातार मुद्दों में से एक मजदूरी असमानता है। समान मजदूरी से संबंधित संवैधानिक गारंटियों के बावजूद, कई अनौपचारिक व्यवसायों में महिलाएं समान श्रम करने वाले पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम मजदूरी प्राप्त करती रहती हैं। यह समस्या कृषि कार्य और निर्माण गतिविधियों में विशेष रूप से स्पष्ट रहती है जहां मजदूरी संरचनाओं की प्रभावी ढंग से निगरानी शायद ही की जाती है। आर्थिक निर्भरता और रोजगार खोने का डर महिलाओं को भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने से हतोत्साहित करता है। श्रम कानून सैद्धांतिक रूप से असमान मजदूरी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, फिर भी प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है क्योंकि श्रम निरीक्षण अनौपचारिक क्षेत्रों के भीतर शायद ही प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण चिंता अवैतनिक श्रम से संबंधित है। ग्रामीण महिलाएं अक्सर पारिवारिक आधारित कृषि कार्य और घरेलू उत्पादन गतिविधियों में प्रत्यक्ष वित्तीय मान्यता के बिना भाग लेती हैं। ऐसा श्रम घरेलू अस्तित्व में काफी हद तक योगदान देता है, फिर भी यह पारंपरिक श्रम गणनाओं के भीतर आर्थिक रूप से अदृश्य रहता है। इसलिए महिलाएं आर्थिक उत्पादन में योगदान देते हुए साथ ही घरेलू और देखभाल करने की जिम्मेदारियों को निभाकर दोहरी जिम्मेदारियां निभाती हैं।

शैक्षिक पिछड़ापन महिलाओं के बीच श्रम भागीदारी को और कमजोर करता है। सीमित शिक्षा वाली महिलाएं आम तौर पर कम वेतन वाले व्यवसायों तक सीमित रहती हैं जहां उन्नति के लिए बहुत कम अवसर होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तर प्रदेश के जिलों में, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में, महिला साक्षरता और शैक्षिक पहुंच असमान बनी हुई है।[4] कई ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के बीच शैक्षिक निरंतरता को प्रारंभिक विवाह, गरीबी और सामाजिक प्रतिबंध प्रभावित करते रहते हैं। डिजिटल शासन के विस्तार ने भी महिला श्रमिकों के लिए मिश्रित परिणाम उत्पन्न किए हैं। हाल के वर्षों में कल्याण प्रशासन तेजी से ऑनलाइन पंजीकरण प्रणालियों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तंत्र, आधार प्रमाणीकरण और डिजिटल बैंकिंग प्रक्रियाओं की ओर स्थानांतरित हुआ है। हालांकि ये सुधार भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता में सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन ने ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर एक महत्वपूर्ण डिजिटल विभाजन को उजागर किया है। कई महिला श्रमिकों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट पहुंच, बैंकिंग साक्षरता या डिजिटल अनुप्रयोगों से परिचितता का अभाव है। नतीजतन, कल्याण तक पहुंच अक्सर मध्यस्थों, साइबर कैफे या स्थानीय एजेंटों पर निर्भर करती है जो सहायता के लिए पैसे ले सकते हैं या योजनाओं से संबंधित जानकारी में हेरफेर कर सकते हैं। सरकारी कल्याण प्रशासन तेजी से आधार सत्यापन, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणालियों, मोबाइल अनुप्रयोगों और डिजिटल बैंकिंग प्रक्रियाओं पर निर्भर होता जा रहा है। जबकि ये प्रणालियां पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करने का लक्ष्य रखती हैं, वे तकनीकी साक्षरता या इंटरनेट पहुंच की कमी वाली महिलाओं के लिए बहिष्करण भी पैदा करती हैं। कई

[4] भारत सरकार, *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21): उत्तर प्रदेश तथ्य पत्रक* (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, 2021), उपलब्ध at: National Family Health Survey

जिलों में, महिलाएं कल्याण पंजीकरण और बैंकिंग सेवाओं से संबंधित डिजिटल प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मध्यस्थों या साइबर कैफे पर निर्भर रहती हैं।

प्रवास-आधारित श्रम बाजारों ने अतिरिक्त कमजोरियां पैदा की हैं। निर्माण क्षेत्रों, ईंट भट्टों या घरेलू श्रम में मौसमी काम के लिए प्रवास करने वाली महिलाएं अक्सर औपचारिक कल्याण पंजीकरण प्रणालियों के बाहर रहती हैं। ऐसे श्रमिकों को अक्सर न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व राहत या कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़े कानूनी संरक्षण के बारे में जागरूकता का अभाव होता है।

चूंकि प्रवासी श्रम में अक्सर अस्थायी रोजगार संबंध शामिल होते हैं, इसलिए कल्याणकारी लाभों की निरंतरता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। साथ ही, समुदाय-आधारित कल्याण पहलों के माध्यम से स्पष्ट बदलाव सामने आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों से जुड़ी महिलाएं छोटे उद्यमों, डेयरी फार्मिंग, सिलाई इकाइयों, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में तेजी से भाग ले रही हैं। इस तरह की भागीदारी ने कई जिलों में वित्तीय जागरूकता का विस्तार किया है और महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति बढ़ाई है। हालाँकि, इन विकासों को चल रही संरचनात्मक असमानताओं को नहीं छिपाना चाहिए। कल्याणकारी पहलें शोषणकारी श्रम स्थितियों को मौलिक रूप से बदले बिना अस्थायी अवसर पैदा कर सकती हैं। इसलिए केंद्रीय मुद्दा कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के बजाय स्थिरता और संस्थागत जवाबदेही से संबंधित है।

आर्थिक कठिनाइयों के अलावा, महिला श्रमिक अक्सर कार्यस्थल की असुरक्षा और सामाजिक भेद्यता का अनुभव करती हैं। घरेलू कामगार और प्रवासी मजदूर अक्सर प्रभावी संस्थागत सुरक्षा के बिना उत्पीड़न, असुरक्षित आवास और शोषणकारी कार्य स्थितियों के संपर्क में रहते हैं। रोजगार खोने का डर कई महिलाओं को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने या कानूनी अधिकारों की मांग करने से हतोत्साहित करता है। यह चुप्पी सामाजिक दबाव, वित्तीय निर्भरता और कानूनी जागरूकता की कमी से और मजबूत होती है। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि जब संस्थागत समर्थन लगातार बना रहता है तो सामूहिक संगठन दृश्यमान सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ी महिलाएं अक्सर वित्तीय निर्णय लेने में अधिक आत्मविश्वास, बढ़ी हुई गतिशीलता और सामुदायिक गतिविधियों में मजबूत भागीदारी की रिपोर्ट करती हैं। फिर भी, ये विकास अलग-अलग जिलों में असमान बने हुए हैं और प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर काफी हद तक निर्भर हैं।

सरकारी योजनाएँ और उनका कार्यान्वयन

मिशन शक्ति और संस्थागत सहायता तंत्र

महिलाओं की सुरक्षा और संस्थागत सहायता प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे प्रमुख कल्याणकारी पहलों में से एक के रूप में मिशन शक्ति उभरा हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हेल्पलाइन, महिला सहायता डेस्क, परामर्श सुविधाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना था।[5] शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने घरेलू हिंसा,

[5] उत्तर प्रदेश सरकार, *मिशन शक्ति जागरूकता अभियान प्रतिवेदन* (लखनऊ, 2025), उपलब्ध at: https:// मिशनशक्ति.उत्तरप्रदेश.भारत

कार्यस्थल उत्पीड़न और साइबर अपराध जागरूकता से जुड़े सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लिया। मिशन शक्ति का महत्व इसके प्रयास में निहित है कि यह महिलाओं की सुरक्षा को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में व्यापक भागीदारी से जोड़ता है। जब सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल सुरक्षित दिखाई देते हैं, तो महिलाएँ आर्थिक गतिविधियों में अधिक संलग्न होने की संभावना रखती हैं। इस अर्थ में, यह योजना सामाजिक सुरक्षा को महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के साथ जोड़ने का एक नीतिगत प्रयास था।

हालाँकि, कार्यान्वयन में कई सीमाएँ सामने आती हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाएँ सामाजिक कलंक, पारिवारिक दबाव या प्रशासनिक प्रणालियों में अविश्वास के कारण संस्थागत अधिकारियों से संपर्क करने से पहले हिचकिचाती हैं। जागरूकता अभियान अक्सर निरंतर के बजाय घटना-उन्मुख रहते हैं। स्थानीय प्रशासनिक दक्षता के आधार पर जिलों के बीच संस्थागत प्रतिक्रियाशीलता में भी काफी भिन्नता होती है।

बीसी सखी योजना और वित्तीय समावेशन

बीसी सखी योजना वित्तीय समावेशन और महिला रोजगार सृजन को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम के तहत, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बैंकिंग संवाददाता सखियों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, जो आधार-सक्षम डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।[6] इस कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बढ़ाई है। कई जिलों में, बीसी सखियाँ ग्रामीणों और औपचारिक बैंकिंग संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में उभरी हैं। योजना से जुड़ी महिलाओं ने सार्वजनिक आर्थिक स्थानों में दृश्यता हासिल की है और अधिक वित्तीय स्वतंत्रता विकसित की है। फिर भी, कार्यान्वयन की कठिनाइयाँ काफी बनी हुई हैं। खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, तकनीकी खराबी, बायोमेट्रिक मिसमैच की समस्याएं और अनियमित बैंकिंग बुनियादी ढांचा अक्सर डिजिटल लेनदेन में बाधा डालते हैं। बीसी सखियों के रूप में कार्य करने वाली महिलाएं अक्सर तकनीकी प्रणालियों के कारण होने वाली देरी के लिए लाभार्थियों से आलोचना का सामना करती हैं। इसके अलावा, ग्रामीण लाभार्थियों के बीच डिजिटल साक्षरता असमान बनी हुई है, जिससे बैंकिंग सेवाओं के प्रभावी उपयोग में सीमाएं हैं। महिला-उन्मुख कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सरकारी आंकड़े अक्सर बढ़ती लाभार्थी संख्या और बढ़े हुए वित्तीय समावेशन पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि, करीब से जांच करने पर पता चलता है कि कार्यान्वयन की गुणवत्ता जिलों के बीच काफी भिन्न है। मजबूत बैंकिंग बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक कनेक्टिविटी वाले शहरी जिले आम तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जहां तकनीकी पहुंच और संस्थागत जागरूकता सीमित बनी हुई है। नतीजतन, कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता अक्सर नीति डिजाइन पर कम और स्थानीय कार्यान्वयन क्षमता पर अधिक निर्भर करती है। एक और मुद्दा समर्थन की निरंतरता से संबंधित है। कई कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभिक पंजीकरण या अल्पकालिक वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन सीमित दीर्घकालिक संस्थागत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कौशल विकास या उद्यमिता योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने

[6] उत्तर प्रदेश सरकार, *बीसी सखी योजना संचालन दिशा-निर्देश* (ग्रामीण विकास विभाग, लखनऊ, 2023), उपलब्ध at: https://srlm.up.gov.in

वाली महिलाएं अक्सर बाजार पहुंच, परिवहन सुविधाओं, मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धा और वित्तीय स्थिरता के साथ संघर्ष करती हैं। निरंतर संस्थागत समर्थन के बिना, कई कल्याणकारी पहलें स्थायी आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न करने में विफल रहती हैं।

स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वयं सहायता समूहों ने शायद महिला-उन्मुख कल्याणकारी पहलों के बीच सबसे स्थायी प्रभाव पैदा किया है। इन समूहों में भाग लेने वाली महिलाएं सामूहिक बचत, सूक्ष्म वित्त गतिविधियों, सिलाई, हस्तशिल्प, डेयरी फार्मिंग, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उद्यमिता में संलग्न हैं।[7] वित्तीय समर्थन के अलावा, स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं के बीच नेतृत्व विकास और सामूहिक भागीदारी की दिशा में योगदान दिया है। पहले सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रही महिलाओं ने समुदाय.आधारित आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अधिक आत्मविश्वास हासिल किया है। कई जिलों में, स्वयं सहायता समूहों ने स्वच्छता अभियानों, पोषण कार्यक्रमों और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी भाग लिया है। हालांकि, कई मामलों में दीर्घकालिक स्थिरता अनिश्चित बनी हुई है। महिला-नेतृत्व वाले उद्यम अक्सर बाजार पहुंच, परिवहन सुविधाओं और संस्थागत ऋण समर्थन से संबंधित कठिनाइयों का सामना करते हैं। कल्याणकारी लाभ भी जिलों में असमान रूप से वितरित रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में, राजनीतिक रूप से जुड़े समूहों को प्रशासनिक पहुंच से वंचित आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की तुलना में अधिक संस्थागत समर्थन प्राप्त होता है। इसलिए व्यापक समस्या नीति की अनुपस्थिति के बजाय कार्यान्वयन की गुणवत्ता से संबंधित है। कल्याणकारी योजनाओं ने निस्संदेह महिला श्रमिकों के लिए अवसरों का विस्तार किया है, लेकिन संरचनात्मक परिवर्तन सीमित बना हुआ है क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रम की कमजोरियाँ जारी हैं।

फिर भी, स्वयं सहायता समूहों के विस्तार ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम पैदा किए हैं। सामूहिक बचत और आजीविका कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाएं अक्सर बैंकों, स्थानीय प्रशासन और समुदाय संस्थानों के साथ बातचीत करने में अधिक आत्मविश्वास हासिल करती हैं। कुछ गांवों में, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं पोषण अभियानों, स्वच्छता अभियानों, शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रमों और स्थानीय शासन गतिविधियों में भी शामिल हो गई हैं। ऐसे विकास संकेत देते हैं कि श्रम कल्याण नीतियां व्यापक सामाजिक भागीदारी की दिशा में योगदान कर सकती हैं जब कार्यान्वयन सुसंगत और समुदाय-आधारित रहता है। हालांकि, यह मानना गलत होगा कि केवल कल्याणकारी विस्तार ने उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिकों की समग्र स्थिति को बदल दिया है। मजदूरी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता और कार्यस्थल सुरक्षा से संबंधित संरचनात्मक असमानताएं महिला श्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित करती रहती हैं। इन असमानताओं की निरंतरता दर्शाती है कि श्रम कल्याण के लिए अस्थायी नीति दृश्यता के बजाय दीर्घकालिक संस्थागत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

कानूनी ढांचा और न्यायिक विकास

भारत में महिला श्रमिकों को उपलब्ध सुरक्षा संवैधानिक सिद्धांतों से प्राप्त होती है, जो समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। अनुच्छेद 14 और 15 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते

[7] ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : क्रियान्वयन रूपरेखा* (2022), उपलब्ध at: https://aajeevika.gov.in

हैं, जबकि अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की और गारंटी देता है।[8] निर्देशक सिद्धांत राज्य को समान मजदूरी और मानवीय श्रम स्थितियों को सुनिश्चित करने का निर्देश देकर इस संवैधानिक ढांचे को मजबूत करते हैं। अनुच्छेद 39(डी) समान कार्य के लिए समान वेतन की आवश्यकता रखता है, जबकि अनुच्छेद 42 राज्य को मातृत्व राहत और मानवीय कार्य परिस्थितियां प्रदान करने का निर्देश देता है।

महिला श्रमिकों को शोषण और भेदभाव से बचाने के लिए कई श्रम कानून बनाए गए। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 मातृत्व अवकाश और संबंधित सुरक्षाएं प्रदान करता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 ने समान कार्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मजदूरी की आवश्यकता के माध्यम से मजदूरी भेदभाव को संबोधित करने का प्रयास किया। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ने कार्यस्थल उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए एक वैधानिक तंत्र बनाया।[9] न्यायिक व्याख्या ने महिला श्रमिकों को उपलब्ध सुरक्षा को काफी विस्तारित किया है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन को अनुच्छेद 14 और 16 से प्रवाहित एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी।[10] इसी तरह, दिल्ली नगर निगम बनाम महिला श्रमिकों में, अदालत ने मातृत्व लाभों को आकस्मिक और अस्थायी आधार पर नियोजित महिलाओं तक भी विस्तारित किया, इस बात पर जोर देते हुए कि मातृत्व सुरक्षा सामाजिक न्याय के न्यायशास्त्र का हिस्सा है।[11]

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय गरिमा और समानता से संबंधित संवैधानिक गारंटियों के हिस्से के रूप में यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा को मान्यता देकर कार्यस्थल सुरक्षा न्यायशास्त्र में एक प्रमुख विकास था।[12] इस निर्णय ने दिशानिर्देश जारी करके एक विधायी शून्यता को भरा जो बाद में 2013 के अधिनियम के तहत वैधानिक सुरक्षा का आधार बने। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय एयर इंडिया बनाम नरगेश मीरजा में सामने आया, जहां महिला कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली भेदभावपूर्ण सेवा शर्तों को अदालत में चुनौती दी गई थी।[13] ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप ने कार्यस्थल भेदभाव और लिंग-आधारित असमानता के संबंध में बढ़ती संवैधानिक चिंता को प्रतिबिंबित किया। इन कानूनी विकासों के बावजूद, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रों में कार्यान्वयन कमजोर बना हुआ है जहां संस्थागत विनियमन शायद ही कभी प्रभावी ढंग से कार्य करता है। घरेलू कामगार, कृषि मजदूर और घर-आधारित श्रमिक अक्सर व्यावहारिक प्रवर्तन तंत्र से बाहर रह जाते हैं। मुकदमेबाजी के लिए स्वयं

[8] भारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 15 एवं 16।
[9] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, *कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर मार्गदर्शिका* (नई दिल्ली, 2019), उपलब्ध at: https://wcd.gov.in
[10] *रणधीर सिंह बनाम भारत संघ*, AIR 1982 SC 879।
[11] *दिल्ली नगर निगम बनाम महिला कर्मचारी*, AIR 2000 SC 1274।
[12] *विशाखा बनाम राजस्थान राज्य*, AIR 1997 SC 3011।
[13] *एयर इंडिया बनाम नरगेश मीरज़ा*, AIR 1981 SC 1829।

जागरूकता, वित्तीय संसाधनों और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला श्रमिकों के लिए सीमित बने रहते हैं।

श्रम कानूनों का श्रम संहिताओं में संहिताकरण ने भी पहुंच और प्रवर्तन के संबंध में बहस पैदा की है। जहां श्रम संहिताएं श्रम विनियमन को सरल बनाने के लिए शुरू की गईं, वहीं चिंताएं बनी हुई हैं कि क्या अनौपचारिक क्षेत्रों की महिला श्रमिक वास्तव में मजबूत निगरानी प्रणालियों के बिना ऐसे सुधारों से लाभान्वित होंगी। इस प्रकार, महिला श्रमिकों से संबंधित कानूनी ढांचा एक महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट करता है। संवैधानिक सुरक्षाएं और श्रम विधान पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, फिर भी उनका प्रभाव अक्सर सीमित रहता है जहां आर्थिक कमजोरी और सामाजिक असमानता श्रम संबंधों पर हावी होती है।

कार्यान्वयन की असफलताएं और संरचनात्मक चुनौतियाँ

उत्तर प्रदेश में महिला कर्मियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रमुख कमजोरी नीति निर्माण के बजाय कार्यान्वयन में है। सरकारी पहलों का विस्तार तेजी से हुआ है, लेकिन उनका व्यावहारिक प्रभाव जिलों और श्रम क्षेत्रों में असमान है। जागरूकता की कमी के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं कल्याणकारी प्रणालियों से अभी भी वंचित हैं। निरक्षरता और कानूनी जानकारी की सीमित पहुंच के कारण कई महिलाएं पंजीकरण प्रक्रियाओं और पात्रता आवश्यकताओं को समझने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरूप, योग्य लाभार्थी प्रायः संस्थागत सहायता संरचनाओं से बाहर रह जाते हैं। प्रशासनिक जटिलता अतिरिक्त बाधाएं उत्पन्न करती है। कल्याणकारी योजनाओं में अक्सर कई दस्तावेजों, डिजिटल सत्यापन, आधार लिंकिंग और बैंकिंग प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। तकनीकी साक्षरता से वंचित महिलाएं इन प्रक्रियाओं को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में संघर्ष करती हैं। मध्यस्थों पर निर्भरता गलत जानकारी और आर्थिक शोषण की संभावना को बढ़ाती है।

भ्रष्टाचार और स्थानीय स्तर पर पक्षपात कार्यान्वयन को और कमजोर करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए प्रदान की गई सुविधाएं राजनीतिक प्रभाव या प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण योग्य लाभार्थियों को नहीं मिलती हैं। कई मामलों में महिलाओं को कल्याणकारी प्रक्रियाओं तक पहुंच के लिए स्थानीय एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ता है। डिजिटल वंचितता ऑनलाइन कल्याण प्रशासन के विस्तार के बाद एक विशेष महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में असमान डिजिटल पहुंच के बावजूद सरकारी कार्यक्रम इंटरनेट-आधारित प्रणालियों पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी या तकनीकी ज्ञान से वंचित महिलाएं कल्याणकारी सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करती हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ भी कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं। कई समुदायों में पितृसत्तात्मक मानसिकता महिलाओं की गतिशीलता और सार्वजनिक संस्थानों में भागीदारी को सीमित करती है। परिवार का दबाव और सामाजिक कलंक महिलाओं को रोजगार के अवसरों में भाग लेने या शोषण के मामलों में संस्थागत प्राधिकारियों से संपर्क करने से हतोत्साहित करते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत महिला कर्मियों की स्थिति एक और भी बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। घरेलू कर्मचारी, कृषि श्रमिक और प्रवासी कर्मचारी प्रायः प्रभावी कल्याणकारी पंजीकरण प्रणालियों से बाहर रहते हैं क्योंकि रोजगार संबंध अस्थायी और अदस्तावेजी होते हैं। एक और गंभीर समस्या कल्याणकारी योजनाओं का मूलतः संख्यात्मक उपलब्धियों के आधार पर मूल्यांकन करने में है, न कि गुणात्मक प्रभाव के आधार पर। सरकारी रिपोर्ट्स प्रायः पंजीकरण आंकड़ों और लाभार्थी संख्याओं पर जोर देती

हैं, लेकिन यह डेटा लंबे समय तक आर्थिक सुधार या सामाजिक सुरक्षा का संकेत नहीं देता है। सार्थक कार्यान्वयन के लिए श्रम विभागों, कल्याणकारी प्राधिकरणों, बैंकिंग संस्थानों और स्थानीय प्रशासन के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता है। कल्याणकारी विस्तार स्वयं सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं कर सकता है जब तक कि कार्यान्वयन तंत्र पारदर्शी, जवाबदेह और सामाजिक रूप से पहुंच योग्य नहीं बनते हैं।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में महिला कर्मियों की स्थिति स्पष्ट प्रगति और निरंतर संरचनात्मक असमानता दोनों को दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में शुरू की गई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं ने निश्चित रूप से वित्तीय समावेशन, ग्रामीण आजीविका, डिजिटल भागीदारी और सामाजिक सहायता से संबंधित अवसरों का विस्तार किया है। मिशन शक्ति, बीसी सखी योजना और स्वयं सहायता समूहों जैसे पहलों ने महिलाओं की बैंकिंग सेवाओं, उद्यमिता और सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाई है। इसी समय, एक बड़ा प्रतिशत महिला कर्मियों असुरक्षित अनौपचारिक व्यवसायों में संकेंद्रित रहता है जहाँ कानूनी सुरक्षा कमजोर है। असमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, खराब स्वास्थ्य सुविधा पहुंच और कार्यस्थल की असुरक्षा कृषि, घरेलू श्रम, निर्माण कार्य और घर-आधारित उद्योगों में कार्यरत महिलाओं को प्रभावित करती है।

अध्ययन दर्शाता है कि मूल समस्या कल्याणकारी नीतियों के अभाव में नहीं है, बल्कि कार्यान्वयन की सीमाओं में है। निरक्षरता, नौकरशाही में देरी, भ्रष्टाचार, डिजिटल वंचितता, श्रम कानूनों का कमजोर प्रवर्तन और सामाजिक प्रतिबंध कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को जमीनी स्तर पर कम करते हैं। संवैधानिक सुरक्षाएं और न्यायिक विकास समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के माध्यम से महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा बनाते हैं। हालाँकि, प्रभावी प्रवर्तन और संस्थागत जवाबदेही के बिना कानूनी अधिकार स्वयं श्रम की वास्तविकताओं को बदल नहीं सकते हैं। सार्थक श्रम कल्याण के लिए लंबे समय तक संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है, न कि अस्थायी कल्याणकारी विस्तार। अनौपचारिक क्षेत्रों में महिला कर्मियों को सुलभ शिकायत तंत्र, मजबूत श्रम निरीक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा, शैक्षिक सहायता, डिजिटल पहुंच और स्थायी रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। कल्याणकारी कार्यक्रम स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं जब कार्यान्वयन सामाजिक रूप से संवेदनशील और संस्थागत रूप से जवाबदेह बन जाता है।